चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/3936
दिनांक: 24.08.2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– **दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के 2021–22 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 99/2021/2239/26–3–2021(358)/07 टी.सी. दिनांक 10 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के द्वारा Scholarship Portal पर अपलोड की गयी निम्न सूचनाऐं कराने का कष्ट करे, जो निम्न हैं:–

01. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफन्डेबल राशि एवं ट्यूशन फीस को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
02. महाविद्यालयों की प्रोफाइल की फोटो कॉपी जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है, जिसमें प्राचार्य/प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित है एवं जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं। (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर)
03. NAAC एवं AISHE का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
04. Scholarship Portal पर अपलोड किये गये डिजिटल सिग्नेचर की छायाप्रति।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें सत्यापित कर दिनांक 28.08.2021 तक अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)
3. प्रभारी, वेबसाइट।

कुलसचिव

संख्या-९१ /2021/2234/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी. III

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2021

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-719/स०क०/शिक्षा-अ/7/52/2021-22, दिनांक-10.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित मास्टर डाटा को लॉक करने हेतु संस्थाओं, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष तथा योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति के लिए समयावधि विस्तारित करने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-84/2021/1868/26-3-2021-4 (358)/07टी०सी०-III दिनांक 12-07-2021 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क० सं०	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021-22)
1	2	3	4
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये),	15 जुलाई 2021 से 10 अगस्त 2021 तक	18 अगस्त 2021 तक

	पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।		
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	15 जुलाई 2021 से 25 अगस्त 2021 तक	31 अगस्त 2021 तक
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	15 जुलाई 2021 से 02 सितम्बर 2021 *(नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*	15 सितम्बर 2021 तक *(नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंगएजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	11 अगस्त 2021 से 03 सितम्बर 2021 तक	19 अगस्त 2021 से 16 सितम्बर 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक
2बी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं	03 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक

	फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।		
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानो के प्रकार, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय / अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यकम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक	17 सितम्बर 2021 से 05 अक्टूबर 2021 तक

3— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021–21 में दशमोत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0– ११ /2021/२२३०(1)/26–3–2021 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–C-72-5 /स0क0/शिक्षा–3/7/52/2021–22

लखनऊ, दिनांक: 11 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–सारिणी के शासनादेश संख्या–99/2021/2239/26–3–2021–4(358)07 टी.सी. III दिनांक 10.08.2021 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

8– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

10– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

11/08/21

(पी0 के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक